प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 11.12.2024

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा NCR क्षेत्र में मोबाइल चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 12 मोबाइल फोन बरामद ।

दिनांक 10.12.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी द्वारा लिखित सूचना दी कि दिनांक 30.11.2024 को रात्रि में उसके घर, 20 फुटा रोड बुद्धबिहार थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से अज्ञात चोरों द्वारा उसका मोबाइल चोरी कर लिया है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 10.12.2024 को थाना क्रासिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त 1. पिंन्टू पुत्र कृष्णा सिंह हाल निवासी किरायेदार कनावनी कालोनी थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद, मूल निवासी ग्राम बसावन टोला थाना पीरो जिला आरा बिहार, उम्र करीब 32 वर्ष 2. सौरभ पुत्र बलवन्त हाल पता छिजारसी कॉलोनी सेक्टर-63 थाना सेक्टर-63 जनपद गौतमबुद्धनगर, मूल निवासी ग्राम देवरार थाना मनियर जिला बलिया, उम्र करीब 29 वर्ष को प्रज्ञा बिहार अम्बेडकर पार्क के अन्दर थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से उपरोक्त घटना से सम्बन्धित चोरी किया गया 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ तथा इसके अतिरिक्त नोएडा व गाजियाबाद के अलग अलग क्षेत्रों से चोरी किये गये 11 अन्य मोबाइल फोन (कुल 12 मोबाइल फोन) बरामद हुए, जिनके बारे मे जानकारी की जा रही है तथा अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया गया कि हम लोग नोएडा गाजियाबाद क्षेत्र में घूम फिर कर मोबाइल चोरी की फिराक में रहते है तथा मौका पाकर किसी के घर मे घुस वहां से मोबाइल चोरी कर लेते हैं तथा मोबाइल को अपनी मजबूरी बताकर राह चलते व्यक्ति को बेच देते हैं तथा जो पैसे मोबाइल बेच कर आते है उन्हे हम दोनों शराब आदि पीकर अपनी मौज मस्ती में खर्च कर देते हैं। हमसे जो 12 मोबाइल चोरी के बरामद हुए है, उनमे से एक मोबाइल फोन को हमने करीब 10 दिन पहले बुद्धबिहार बहरामपुर क्षेत्र से चोरी किया था तथा अन्य 11 मोबाइल फोन हमने एनसीआर के अलग अलग जगह से चोरी किये थे, जिनके बारे में हमे अब कुछ याद नही है कि कौन-सा मोबाइल फोन कहां से चोरी किया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता-

1. पिंन्टू पुत्र कृष्णा सिंह हाल निवासी किरायेदार कनावनी कालोनी थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद, मूल निवासी ग्राम बसावन टोला थाना पीरो जिला आरा बिहार, उम्र करीब 32 वर्ष
2. सौरभ पुत्र बलवन्त हाल पता छिजारसी कॉलोनी सेक्टर-63 थाना सेक्टर-63 जनपद गौतमबुद्धनगर, मूल निवासी ग्राम देवरार थाना मनियर जिला बलिया, उम्र करीब 29 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

उपरोक्त घटना से सम्बन्धित चोरी किया गया 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ तथा इसके अतिरिक्त एनसीआर के अलग-अलग क्षेत्रों से चोरी किये गये 11 अन्य मोबाइल फोन (कुल 12 मोबाइल फोन) बरामद।

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-</u>

उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर मोबाइल चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-</u>

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त गिरफ्तार तथा चोरी का माल सोने, चाँदी व डायमण्ड के करीब 25 लाख रुपये के आभूषण बरामद।

दिनांक 23.11.2024 को थाना मोदीनगर पर आवेदक श्री राम अग्रवाल पुत्र स्व0 सुरेश चन्द अग्रवाल निवासी आर्य समाज वाली गली तिबडा रोड मोदीनगर द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि अज्ञात राजमिस्त्री , कारपेन्टर व पेन्टर इत्यादि जो कि आवेदक के मकान में नवीनीकरण का कार्य कर रहे थे, के द्वारा घर की अलमारी में रखे 70-80 तोले सोने के आभूषण तथा 1/2 किलो चांदी व 100 ग्राम हीरे के आभूषण चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 10/11.12.2024 की रात्रि में थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले अभियुक्त समीर पुत्र मौहम्मद उमर निवासी समर गार्डन कॉलोनी एमटी स्कूल के पास थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ, उम्र करीब 38 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिससे चोरी का माल सोने – चाँदी व डायमण्ड के करीब 25 लाख रुपये के आभूषण बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण –</u>

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने राम अग्रवाल के मकान में कारपेन्टर का कार्य किया था। जिस कार्य के दौरान इनके मकान में बने हुये अलमारी से मैंने उक्त सोने ,चांदी व डायमण्ड के सामान को चोरी कर लिया था तथा उक्त सामान को चोरी करके मैं अपने घर समीर गार्डन थाना लिसाडी गेट मेरठ ले गया और अपने पिता मौहम्मद उमर के सहयोग से कुछ सामान को अपना बताकर कैपरी लोन बैंक सेन्ट्रल मार्केट शास्त्री नगर मेरठ से मैंने तीन लाख चौदह हजार पाँच सौ रुपये का लोन लिया तथा कुछ सामान को मैंने आने – जाने वाले राहगीरों को बेचकर जो पैसा प्राप्त किया वो पैसा मैंने अपने पिता मौहम्मद उमर को प्लॉट खरीदने के लिये दे दिया।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –</u>

समीर पुत्र मौहम्मद उमर निवासी समर गार्डन कॉलोनी एमटी स्कूल के पास थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ उम्र करीब 38 वर्ष।

<u>वांछित अभियुक्त-</u>

मौहम्मद उमर (समीर का पिता)

बरामदगी का विवरण-

1.सोना लगभग 220 ग्राम (आभूषण)
2.चाँदी लगभग 320 ग्राम (आभूषण)
3.डायमण्ड के 02 कंगन बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है ।अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के झूठे अभियोग का षड्यंत्र बनाकर अपने चचेरे भाई को फंसाने वाली महिला व उसका एक अन्य सहयोगी गिरफ्तार।

दिनांक 08.12.2024 को थाना मसूरी पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि मुस्कान पुत्री रिजवान निवासी ग्राम कुशलिया थाना मसूरी के साथ उसके चचेरे भाई द्वारा गलत काम किया गया है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा जाँच की गयी तो ज्ञात हुआ कि दिनांक 28.11.2024 को थाना मसूरी पर मुस्कान द्वारा मारपीट व गाली गलौच के संबंध में अपने चाचा व चचेरे भाई के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था तथा मौके पर पुलिस द्वारा मुस्कान से पूछताछ की गई तो उसने अपने चचेरे भाई पर आरोप लगाया कि दिनांक 08.12.2024 को प्रातः करीब 2 से 3 बजे के बीच दुष्कर्म की घटना की गई है। जबकि मुस्कान के मोबाईल को चैक किया गया तो दिनांक 03.12.2024 को ही सरताज नाम के व्यक्ति द्वारा मुस्कान के मोबाइल नम्बर पर घटना दिनांक 02.12.2024 दर्शाकर हिन्दीशुदा टाइप प्रार्थना पत्र मिला उसके उपरान्त दिनांक 08.12.2024 को शाम को ही मुस्कान द्वारा घटना से सम्बन्धित एक वीडियो बनाकर सरताज के मोबाइल नम्बर पर व्हाट्सअप किया गया , जिसके उपरान्त सरताज द्वारा उपरोक्त वीडियो का ट्वीट किया गया एवं दिनांक 08.12.2024 को फोन में पूर्व से पडा दिनांक 03.12.2024 का प्रार्थना पत्र को उसकी घटना दिनांक 02.12.2024 की जगह 08.12.2024 दर्शाते हुये फर्जी रेप की झूठी सूचना दी। उक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट हुआ कि मुस्कान उपरोक्त द्वारा पुलिस को झूठी सूचना दी गयी है इसके उपरान्त दिनांक 10.12.2024 को वादी शकील पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम कुशलिया थाना मसूरी गाजियाबाद द्वारा मुस्कान पुत्री रिजवान निवासी ग्राम कुसलिया थाना मसूरी गाजियाबाद व सरताज पुत्र हकीम शौकत कासिमी निवासी शालीमार गार्डन के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र अपने बेटे शोएब को षड़यन्त्र के तहत झूठे रेप के मुकदमे में फंसाने व पैसे ऐंठने जैसे आरोप अंकित किये गये वादी की तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग बनाम मुस्कान व सरताज उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी व अनावरण के लिये टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 11.12.2024 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्त सरताज व अभियुक्ता मुस्कान को थाना मसूरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्ता मुस्कान ने पूछने पर बताया कि उसका अपने चाचा शकील के साथ आपसी मनमुटाव चल रहा है अभी करीब 2 सप्ताह पूर्व मैंने अपने चाचा से आपसी कहा सुनी हो जाने के कारण मैंने अपने चाचा व उसके बेटे शोएब

के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा पंजीकृत कराया था। उसके उपरांत अपने चाचा के घरवालों पर दबाव बनाने व पैसे ऐंठने के उद्देश्य से मैंने पूर्व से परचित सरताज पुत्र हकीम शौकत कासमी निवासी गली नं0 2 पप्पू कालोनी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद जो अपना यू ट्यूब पर आज तक क्राइम नाम का चैनल चलाता है (पत्रकार भी है) , से बात कर रेप का षड्यंत्र हम दोनों ने मिलकर बनाया था कि यदि शोएब को रेप के झूठे मुकदमे में फंसा देंगे तो ये जेल भी जाएंगे और मोटी रकम भी देंगे। हम दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 03 .12 .2024 को शोएब पर झूठा आरोप लगाते हुये 02.12.2024 की सुबह 02 से 03 बजे की घटना दर्शाते हुये एक हिन्दी टाइपशुदा प्रार्थना पत्र व्हाट्सअप किया। 03.12.2024 को मैंने रेप की सूचना नहीं दी परन्तु सरताज ने मुझे बताया कि इस झूठी घटना का ट्वीट कर देंगे तो जल्दी पुलिस कार्यवाही करेगी तथा शोएब को जेल भेजेगी सरताज उपरोक्त ने मुझसे एक वीडियो बनवाकर माँगी थी मैंने एक वीडियो फर्जी रेप की घटना की , अपने चचेरे भाई शोएब पर आरोप लगाते हुये दिनांक 08.12.2024 को शाम के समय सरताज उपरोक्त को व्हाट्सअप की, उसके उपरान्त सरताज ने मेरी वीडियो का ट्वीट किया तथा दिनांक 03.12.2024 को रेप से सम्बन्धित प्रार्थऩा पत्र सरताज द्वारा तैयार किया गया था उस प्रार्थना पत्र में घटना का दिनांक 02.12.2024 की जगह 08.12.2024 करकर उक्त फर्जी रेप की घटना को हम दोनो द्वारा दर्शाया गया था। हम दोनों ने मिलकर मेरे चचेरे भाई शोएब को झूठे रेप के मुकदमे में फंसाकर मोटी रकम ऐंठने के लिये ये झूठी कहानी बनायी थी। सरताज उपरोक्त क्राइम आज तक का यू ट्यूव चैनल व साप्ताहिक अखबार चलाता है।

उल्लेखनीय है कि मुस्कान उपरोक्त द्वारा वर्ष 2023 में थाना मयूर विहार दिल्ली में अपने ही गांव के अरमान पुत्र दाऊद निवासी शास्त्रीबाग दिल्ली के विरुद्ध रेप का मुकदमा पंजीकृत कराया था। सरताज उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व में थाना साहिबाबाद व शालीमार गार्डन पर भी अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पते –

1. मुस्कान पुत्री रिजवान निवासी कुशलिया थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष ।
2. सरताज पुत्र हकीम शौकत कासमी निवासी बी-130 गली नं0 2 पप्पू कालोनी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद, उम्र करीब 50 वर्ष।

बारमदगी का विवरण –

घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त सरताज उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व में थाना साहिबाबाद तथा थाना शालीमार गार्डन में एक-एक अभियोग पंजीकृत है तथा उपरोक्त दोनों के विरुद्ध थाना मसूरी पर झूठे मुकदमे में फंसाने का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा लूट की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गयी कार, मोबाइल व घटना में प्रयुक्त कार, मोबाइल व अवैध चाकू बरामद।

दिनाकं 10.12.2024 को वादी अर्जुन पुत्र कंचन सिंह निवासी कनावली थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद द्वारा सूचना दी गई थी कि 01 लडकी व 02 लडके नाम पता अज्ञात द्वारा वादी की कार को बरेली ले जाने के नाम पर बुलाकर वादी की गर्दन पर चाकू लगाकर गाडी छीन कर ले जाना। उपरोक्त सूचना पर थाना भोजपुर पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा

पंजीकृत कर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी हेतु टीमों का गठन कर जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाये गये।

तत्पश्चात आज दिनांक 11.12.2024 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर भटजन की तरफ जाने वाले रास्ते चन्देला फार्म हाउस के पास से अभियुक्ता 1. मुस्कान भाटी पुत्री शिव कुमार निवासी गली नं0 03 लालू डेरी व लगडे बाबा के मंदिर के पास संतपुरा गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष व 02 अभियुक्त 2. अभिमन्यु पुत्र रामभजन शर्मा निवासी म0नं0 204 पुस्ता पार्ट, पार्ट –सी कनावली थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष 3. करन रवि पुत्र राजू चौधरी निवासी डी मॉल झुग्गी नं0 03 थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से लूटी गयी कार , मोबाइल व घटना में प्रयुक्त कार, मोबाइल व अवैध चाकू बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि साहब हम लोग अभिमन्यु, रवि उर्फ करन व रितिक व मुस्कान एक दूसरे को पहले से ही जानते थे हम चारों लोगो ने एक योजना बनाई कि हम लोग किसी व्यक्ति या उसके माल को लूट कर व उसे बेच कर मौजमस्ती करने तथा घूमने फिरने कहीं चलेंगे, दिनांक 09.12.2024 को उपरोक्त योजना के तहत अभिमन्यु ने मुस्कान को एक ओला कैब वाले ड्राईवर का मोबाइल नम्बर दिया और कहा कि इसको फोन करके कहो कि मुझे बरेली जाना है और इसे बुलाओ फिर हम लोग योजना के तहत इसकी कार को लूट कर उसे बेचकर हम चारों लोग मौज मस्ती करेंगे। उक्त मोबाइल नम्बर पर लगभग दोपहर के 02 बजे मुस्कान ने ओला कैव ड्राईवर को फोन किया और बताया कि मुझे बरेली जाना है तो इस बात पर ओला ड्राईवर ने कहा कि आप कितने बजे बरेली के लिए जाओगी तो इस बात पर मुस्कान ने कहा कि मैं शाम के लगभग 07 बजे मोदीनगर से बरेली के लिए जाऊंगी और ओला कैव का ड्राईवर शाम के समय लगभग 07 बजे मोदीनगर आ गया। और योजना के तहत मुस्कान, रवि उर्फ करन तथा भागा हुआ रितिक तीनों लोग उसकी कार मे बैठ गये तथा हम लोगों में से चौथा व्यक्ति अभिमन्यु अपनी कार से हम लोगो के पीछे पीछे चलने लगा तथा जब हम लोग ग्राम मछरी के रास्ते पर पहुंचे तो हम लोगो ने कहा कि हम तीनों में से हमारा एक साथी किसी गांव में जायेगा और उसको उसके गांव मे छोडकर बरेली चल देंगे। हमने कार को मोदीनगर से ग्राम मछरी की तरफ को जाने वाले रास्ते की तरफ को मुड़वा दिया और सुनसान रास्ता देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर ओला ड्राइवर के ऊपर रवि उर्फ करन व रितिक ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और उसको कार से नीचे उतार लिया तभी पीछे से अपनी कार से अभिमन्यु भी हमारे पास आ गया फिर हम चारों लोग ओला ड्राइवर की स्विफ्ट कार व मोबाईल को लूट कर हम तीनों लोग उसी कार में बैठकर व अभिमन्यु अपनी कार में बैठकर ग्राम मछरी की तरफ भाग गये। आज हम चारों लोग लूटी गई कार व मोबाइल को बेचने की फिराक में खडे थे पुलिस ने पकड़ लिया और रितिक मौका पाकर भाग गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-</u>

1. मुस्कान भाटी पुत्री शिव कुमार निवासी गली नं0 03 लालू डेरी व लंगडे बाबा के मंदिर के पास संतपुरा गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष।
2. अभिमन्यु पुत्र रामभजन शर्मा निवासी म0नं0 204 पुस्ता पार्ट, पार्ट –सी कनावली थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष।
3. करन रवि पुत्र राजू चौधरी निवासी डी माल झुग्गी नं0 03 थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

4.रितिक पुत्र अजीत उर्फ सोनू निवासी हनुमानपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद (**मौके से भागा हुआ) ।**

बरामदगी का विवरण-

1- कब्जे से लूटी गयी एक स्विफ्ट डिजायर कार व 01 मोबाइल बरामद ।
2- एक स्विफ्ट कार नं0 UP14HT7523 **(घटना में प्रयुक्त कार)**
3- घटना में प्रयुक्त कब्जे से मोबाइल व एक अवैध चाकू बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद ।

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा खोड़ा क्षेत्रान्तर्गत हुई हत्या की घटना में वाँछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 13.11.2024 को थाना खोड़ा पर वादी श्री आसिफ पुत्र श्री नन्हे मलिक निवासी आरसी 1283, शंकर विहार रब्बानी मस्जिद, खोड़ा कालोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि मेरे पड़ोसी जाकिर से नाली के ऊपर मोटर साइकिल खड़ी करने को लेकर विवाद था दिनांक 13.11.2024 को जाकिर और उसके लड़के फरीद, शाकिर, वाजिद व अपने कुछ अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर रब्बानी मस्जिद के पास तिराहे पर वादी के पिता नन्हे मलिक व वादी के भाई सलमान को घेरकर चाकू से वार कर दिया व जान से मारने की धमकी देकर भाग गए । वादी के घायल पिता व भाई को ईलाज हेतु लाल बहादुर अस्पताल दिल्ली ले गये, जहाँ पर डॉक्टरों ने वादी के पिता को मृत घोषित कर दिया और भाई का ईलाज चल रहा है । जो कि मरणासन स्थिति में है ।

तत्काल थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा वादी की प्राप्त तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया । मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 11.12.2024 को उक्त घटना को कारित करने वाले 02 वाँछित अभियुक्त 1. साद पुत्र मौ0 जाकिर निवासी रब्बानी मस्जिद के पास शंकर विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष व 2. मुजाहिद पुत्र मौ0 जाकिर निवासी रब्बानी मस्जिद के पास शंकर विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 18.5 वर्ष को इतवार पुस्ता के पास खोडा से गिरफ्तार किया गया तथा पूर्व में 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत हेतु भेजा जा चुका है । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त साद पुत्र मौ0 जाकिर व मुजाहिद पुत्र मौ0 जाकिर उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दिनांक 13.11.2024 की शाम को हमारा नन्हे के परिवार से गली में मोटर साइकिल खडी करने को लेकर झगडा हो गया था । जिसमें नन्हे के परिवार के लोगों से कहा सुनी हो गई । जिसके कारण हम लोगों को बहुत गुस्सा आ गया था । जिस पर हमने अपने घर के अन्दर से छुरा(चोकू) निकालकर उन लोगों पर हमला कर दिया था और वहां पर खूनखराब हो गया और भीड जुट गयी । जिसे देखकर हम लोग घबरा गये और हम लोग मौके से भाग गये ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

1. साद पुत्र मौ0 जाकिर निवासी रब्बानी मस्जिद के पास शंकर विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष ।
2. मुजाहिद पुत्र मौ0 जाकिर निवासी रब्बानी मस्जिद के पास शंकर विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 18.5 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना खोडा पुलिस टीम ।